न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 39/2018

प्रार्थी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. छोटी पत्नी कालूराम
2. नाथूराम पुत्र कालूराम
3. सुखा पुत्र छीतर
4. केसीदेवी पत्नी बालाराम
5. पूनाराम गोदपुत्र बालाराम
6. बलदेव पुत्र भारूदेव
7. सरवणी पत्नी लादूराम
8. भंवरू पुत्र लादूराम
9. चन्द्रा पुत्र लादूराम
10. धीरा पुत्र लादूराम
11. रंगा पुत्र लादूराम
12. बाबू पुत्र सूजाराम
13. सूवा पुत्र सुजाराम
14. बीरम पुत्र सुजाराम गुर्जर साकिन–खेड़ा तहसील–जैतारण, जिला–पाली, राज.

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.02.2018

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 26/12/2019**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 2296 कुल रकबा 27–15 बीघा मौजा भींवगढ में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 14 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तितकर मोबाइल टॉवर लगाकर जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 12.12.19

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से मोबाईल टॉवर का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 के बिंदू संख्या 03(10) के अनुसार मोबाईल टॉवर अस्थाई प्रकृति की संरचना होनें से एवं दूरसंचार सेवा एक अत्यावश्यक प्रकृति की सेवा होने से इसकी स्थापना एवं परिचालन के लिए भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार, जैतारण द्वारा ग्राम-भींवगढ, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 2296 के खातेदारान एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होनें, विधि द्वारा बाधित होनें एवं संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज करना विधिसंगत है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाम प्रतिवादीगण सारहीन होनें, संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होनें एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/12/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.01.01 17:59:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: